

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग
पिथौरागढ़।

दूरभाष / फैक्स नं० 05964-225115

पत्रांक 1316 / 22 याता०

E-mail - pdpdpdph@rediffmail.com

दिनांक 17/5 / 2022

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
वन प्रभाग
पिथौरागढ़

विषय:- जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र पिथौरागढ़ के अंतर्गत चण्डाक से धारी मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 1.911 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किए जाने के सम्बन्ध में। प्रपोजल सं० (FP/UK/ROAD/40805/2019)

सन्दर्भ:- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून, 25 सुभाष रोड के पत्रांक 8बी०/यू०सी०पी०/०६/२३/२०२१/एफ०सी०/१४४६, दिनांक 19.01.2022

महोदय,

उपरोक्त विषयक पर सन्दर्भित पत्र का आशय ग्रहण करते हुए लगाई गई आपत्तियों का निराकरण किया गया है, जिनका विवरण निम्नवत है, साथ ही सम्बन्धित आपत्तियों के अभिलेख आपके कार्यालय में पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित -

S.N O.	आपत्ति	उत्तर
1	प्रस्तुत बार चार्ट पर उपलब्ध जानकारी अनुसार लाभान्वित होने वाले ग्राम पौण एवं डुंगरी को के०एम०एल० फाईल पर नहीं दर्शाया गया है।	चूंकि प्रश्नगत मार्ग, पूर्व निर्मित मार्ग जिसकी लम्बाई 2.00 किमी० है से आगे की ओर ग्राम-धारी, डुंगरी तक स्वीकृत है। जिसमें इस मार्ग का प्रारम्भ बिन्दु ग्राम पौण के क्षेत्र में आता है, परन्तु ग्राम पौण मोटर मार्ग से जुड़ा है व डुंगरी जो कि ग्राम धारी का ही लाभान्वित होने वाला टोक है। मार्ग का विस्तार डुंगरी में स्थित चमाली मोटर मार्ग के मिलान तक लिया गया है। अतः ग्राम- पौण व डुंगरी की भूमि प्रभावित होने के कारण बार चार्ट में इन्हें लिया गया है। वास्तविक रूप से लाभान्वित होने वाले ग्राम- धारी, धारी जोशी (डुंगरी) है। जिस कारण से ग्राम पौण को के०एम०एल० में नहीं दर्शाया गया है व डुंगरी को के०एम०एल० में दर्शाते हुए पुनः अपलोड कर दिया गया है।
2.	मार्ग को पूर्व स्वीकृत चण्डाक-धारी मोटर मार्ग से प्रारम्भ कर आगे डुंगरी तक बढ़ाया जा रहा है। जबकि प्रारम्भ बिन्दु से ग्राम धारी तक मध्य में आरक्षित वन क्षेत्र पड़ता है और कोई आबादी दर्शित नहीं होती है। इस प्रकार प्रस्तुत डिजिटल मानचित्र में अंकित बिन्दु क० 1 से 13 तक के समरेखण का औचित्य स्पष्ट नहीं है।	पूर्व स्वीकृत चण्डाक धारी मोटर मार्ग (लं० 2.00 किमी०) की वन भूमि हस्तान्तरण कर विधिवत स्वीकृति शासनादेश सं० 2756/7-1-2013- 600(2986)/2009, दिनांक 15.07.2013 द्वारा 1.4हे० वन भूमि की प्राप्त है (संलग्न) प्रस्तावित मोटर मार्ग को इसके अंतिम बिन्दु से आगे बढ़ाए जाने के सम्बन्ध में स्पष्ट कराना है कि प्रस्तावित मोटर मार्ग की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति शासनादेश सं० 24/ 11(2)/18-44 (एम०एल०ए०)/2017, दिनांक 10.01.2018 द्वारा चण्डाक से धारी मोटर मार्ग का धारी तक विस्तार (लं० 5.00किमी०) के नाम से प्राप्त है। व पूर्व निर्मित 2.00 किमी० भाग जो कि डामरीकृत स्टेज तक पूर्ण हो चुका है, से आगे की ओर धारी डुंगरी तक मार्ग का समरेखण किया गया है। प्रारम्भ बिन्दु से ग्राम धारी तक मध्य में मात्र 325 मी० आरक्षित वन क्षेत्र प्रभावित हो रहा है जो कि समरेखण के अनुसार न्यूनतम है व इसमें प्रभावित 51 वृक्षों की सं० भी न्यूनतम है, जिस हेतु वन संरक्षक, अल्मोड़ा द्वारा भी निरीक्षण उपरान्त न्यूनतम वृक्षों के पातन सम्बन्धी आख्या दी गई है। पूर्व में प्रस्तुत डिजिटल मानचित्र में अंकित कम सं० 1 से 13 के

		समरेखण को संशोधित कर पुनः डिजिटल मैप अपलोड कर दिया गया है।
3.	धारी गांव के दायीं ओर एक अन्य मार्ग दिखायी दे रहा है जिसकी कोई जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है जहां से यदि आवश्यक हो तो धारी गांव को जोड़ा जा सकता है जिससे निश्चित ही पातन में कमी आयेगी।	धारी गाँव के दायी ओर एक मार्ग दिखाई दे रहा है जो कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत निर्मित चण्डाक चमाली मोटर मार्ग है। इसके किमी० 4.00 बगौर नामक स्थान से यदि धारी को जोड़ा जाता है तो इस समरेखण की 550 मी० लम्बाई में आरक्षित भूमि प्रभावित होगी जो कि सघन बांज वृक्षों से आच्छादित है व वर्तमान समरेखण में प्रभावित होने वाले 51 वृक्षों से कहीं अधिक होगी व चण्डाक चमाली मोटर मार्ग का 4.00 किमी० का भू- भाग शीतकाल में लगभग 02 माह बर्फ से बाधित रहता है।
4.	इसके अतिरिक्त अन्त बिन्दु से ग्राम धारी पर मार्ग को समाप्त किया जा सकता है। धारी गाँव को दोनों ओर से मार्ग से जोड़ने का औचित्य भी अस्पष्ट है, जिसे स्पष्ट किया जाए।	धारी गाँव को दोनों ओर से मार्ग से जोड़ा जा रहा है जिसके सम्बन्ध में स्पष्ट कराना है कि डुंगरी जो कि ग्राम धारी का ही लाभान्वित होने वाला तोक है व क्षेत्र के अन्य ग्राम- पार्भै, वास्ते, कुचगाड़ आदि के ग्रामवासियों को वर्तमान में पिथौरागढ़ मुख्यालय तक आने हेतु लगभग 16 किमी० दूरी तय करनी पड़ती है, जबकि प्रस्तावित मार्ग के निर्माण से इस क्षेत्र की आबादी को जिला मुख्यालय पहुंचने में मात्र 9 किमी० दूरी ही तय करनी होगी। अतः मार्ग की स्वीकृत लम्बाई के सापेक्ष चण्डाक चमाली मोटर मार्ग के मिलान बिन्दु डुंगरी तक 4.500 किमी० लम्बाई में मार्ग निर्माण हेतु प्रस्ताव गठित किया गया है। स्पष्टीकरण हेतु के०एम०एल० मैप तैयार कर ई-मेल के माध्यम से भेजा जा रहा है।

DL

भवदीय
 अधिशासी अभियन्ता
 प्रान्तीय खण्ड ल००नि०वि०
 पिथौरागढ़